

निर्णय बर्डजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई०ए०एस० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न० 67 / प्रा०पत्र / 18

“एयू.समॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड”(जो पूर्व में “ए.यू. फाईनेन्सर्स(इंडिया)लिमिटेड” के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए.धुलेश्वर गार्डन,अजमेर रोड़,जयपुर में स्थित व कार्यरत है।.....प्रार्थी
बनाम

01. रोहित कुमार राठोर पुत्र किरण कुमार (ऋणी)
पता:- हाई स्कूल रोड़ लंका गेट,तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
02. किरण कुमार राठौर पुत्र नाथूलाल राठौर (सहऋणी-बंधनकर्ता)
पता:- हाई स्कूल रोड़ लंका गेट,तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
दूसरा पता:- पट्टा न० 14, हाई स्कूल रोड़ वार्ड न० 6 झालरापाटन जिला झालावाड़
03. श्रीमति मीना बाई राठौर पत्नी किरण कुमार राठौर (सहऋणी)
पता:- हाई स्कूल रोड़ लंका गेट,तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
04. महावीर प्रसाद राठौर पुत्र लक्ष्मीनारायण राठौर (जमानती)
पता:- राठौर मोहल्ला बेकम तहसील पाटन जिला झालावाड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

:- निर्णय :-

दिनांक: 08.08.2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ज अधिकृत प्रतिनिधि सिक्क्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण 1,2,3 द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 31.03.2013 को रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये) का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति किरण कुमार राठौर आ० नाथूलाल की वार्ड न० 6 तहसील झालरापाटन में स्थित पट्टा न० 14 पर निर्मित भवन व ढांचा आदि जिसका क्षेत्रफल 1972.5 स्क्वायर फीट है को प्रार्थी के पास रहन किया था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 31.08.2017 को अक्रियान्वित आस्त में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.03.2018 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 4,68,281/- (रुपये अक्षरे चार लाख अडसठ हजार दो सौ इक्यासी मात्र) दिनांक 19.03.2018 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्क्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी सिक्क्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 30.06.2017 को व्यक्तिकम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध रुपये 4,68,281/- (रुपये अक्षरे चार लाख अडसठ हजार दो सौ इक्यासी मात्र) दिनांक 19.03.2018 तक तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई है, उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा०पत्र के सलंगन शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत किरण कुमार राठौर आ० नाथूलाल की वार्ड न० 6 तहसील झालरापाटन में स्थित परिसम्पत्ति पट्टा न० 14 जिसका क्षेत्रफल 1972.5 स्क्वायर फीट है पर निर्मित भवन व ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अंग है जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में बाबूलाल धाकड़ का मकान, पश्चिम में तकिया हाउस गली, उत्तर में तकिया हाउस गली, दक्षिण में रास्ता उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़